

**फर्द अहकाम**  
**दामोदर बनाम मोहनलाल व अन्य**

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
 केस संख्या 23/2024 मुख्यालय-जयपुर

(ली.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/प्राथीगण उपस्थित। बहस प्रारंभ। ली.आई. हेतु अधिवक्ता/प्राथीगण द्वारा क्वॉटर याचन किया है। अतः पत्रावली को बहस प्रारंभ। ली.आई. दिनांक 12/11/24 को पेश हो।	
	12/11/24	आज दिनांक 12/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा अफ्न कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीओसा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो।	
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/प्राथीगण उपस्थित। बहस प्रारंभ। ली.आई. पर सुनी गई। प्राथीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्राथीगण की ओर से वाके ग्राम वीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की सहकारिता की भूमि आ. रे. नं. 140 रकबा 0.2300 हे. के सन्दर्भ में वाके मीट्स एंड काउन्सिल विधिक विभाजन हेतु वाके प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्राथीगण (वाके) का 1/8-1/8 हिस्सा (कुल 1/4 हिस्सा) का निर्दिष्ट है। प्राथीगण की सहकारिता की उक्त अप्लेविन भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत उक्त वादपा एवं अप्लेविन भूमि के विधिक विभाजन होने तक मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र ली.	



**फर्द अहकाम**

दामोदर व अन्य बनाम बालकृष्ण लाल के अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर

केस संख्या 23/2024

(या. पा. ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	आदेश के संदर्भ में किसी प्रकार की उच्च आपति झुका जवाब हेतु अग्रणीगण को विधिवत नोडिस जारी किए जाने व नोडिस प्राप्ति के उपरान्त भी अग्रणीगण की ओर से न्यायालय दायरे में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र ली. आई. का किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में कोई समीचन/अपचारिक रकडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का कत किसी भी प्रकार की कोई उच्च आपति प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि प्रकरण अनिलिखित दस्तावेजों के अनुसार भूमि के विधिक विभाजन मांग से संबंधित है। जिससे वाद बहुलता व न्यायधिन के हरिगत भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः अग्रणीगण का प्रार्थनापत्र ली. आई. स्वीकार किया जाकर अग्रणीगण को मुल्काद के निस्तारण तक अंतर्गत वाद अन्तर्गत भूमि आ. रक. नं. 140 रकबा 0.2300 की मोफा व रिकॉर्ड की प्रशास्थिति कायम रखा जाने का कत पावप्य फरमाया जावे। इसमें अग्रणीगण अधिवक्ता की इसका प्रार्थनापत्र ली. आई. पर सुनी, तथा कर कतन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथा के समग्र विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अग्रणीगण की ओर से स्वयं की अनिलिखित दस्तावेजों की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मुल्काद प्रस्तुत किया गया है। जो लक्षित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हरिगत प्रार्थनापत्र ली. आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके अंतर्गत संदर्भ में अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर  
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

**फर्द अहकाम**

दामोदर व अन्य बनाम गोपाललाल के अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर

केस संख्या 23/2024

(या. पा. ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	आदेश दिनांक 21.05.24 को पारित किया गया है। जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त संदर्भ में कोई उच्च आपति अथवा कोई समीचन/अपचारिक रकडन व जवाब किसी भी अग्रणी प्रकार द्वारा आपति दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु अग्रणीगण द्वारा कावप्य विधिवत प्राप्ति नोडिस व जानकारी के न्यायालय दायरे में उपस्थिति को प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अग्रणीगण के विरुद्ध कतना कार्यवाही अग्रणी पूर्व में पारित किए जा चुके हैं। अतः प्रकरण में किसी भी अग्रणी प्रकार द्वारा किसी भी स्तर पर समीचन स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र ली. आई. का कोई रकडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई उच्च आपति अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वाद बहुलता के हरिगत व प्रकरण दित में भी भूमि वादागत को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते हैं। अतः न्यायधिन व वाद बहुलता के हरिगत पूर्व अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को तत्कालीन मुल्काद स्थाई किया जाकर उच्चपक्षकारान को जयपुर कीलपुरा तह. जामेर जिला जयपुर स्थित वाद अन्तर्गत भूमि आ. रक. नं. 140 रकबा 0.2300 की मोफा व रिकॉर्ड की प्रशास्थिति कायम रखे। विरासत नामांतरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेरुल शुभार होकर 20 नवंबर से कम हो। वाद तत्कालीन दिनांक 4 फरवरी को	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जामेर  
मुख्यालय-जयपुर